न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0 न0 32/2021(जी.सी.एम.एस. 2021/40) पीठासीन अधिकारीः— डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

हरिओम पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम जनूथर तहसील जनूथर जिला डीग (राज0)

—सायल

बनाम

रेवन पुत्र परभाती जाति माली निवासी ग्राम जनूथर तहसील जनूथर जिला डीग (राज0)

—गैर सायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत

धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 31.07.2024

सायल द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 3267/0.23,3268/0.16, 2397/0.23, 2406/0.40, कुल किता—04 रकबा 1.02 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है। वर्णित आराजी सायल व गैर सायल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर सायल व गैर सायल व प्रतिवादीगण मुताविक हिस्सा जमाबन्दी खातेदार काश्तकार काबिज है और इसीनुसार मौके पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सायल व गैर सायल व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुत0 का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है अब सायल व गैर सायल व प्रति0 के मध्य संयुक्त काश्त में नहीं बनती है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 3267/0.23,3268/0.16, 2397/0.23, 2406/0.40, कुल किता—04 रकबा 1.02 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित रहन वय मुन्तकिल नहीं करने,कृषि को अकृषि भूमि में तब्दील नहीं करने,कब्जा नाजायज नहीं करने तथा रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल बाबजूद सूचना व तामील के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 23.04.2024 को इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

गैर सायल की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील सायल ने कहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 3267/0.23,3268/0.16, 2397/0.23, 2406/0.40, कुल किता—04 रकबा 1.02 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

स्थित आराजी को रहन वय मुन्तकिल नहीं करने,कृषि को अकृषि भूमि में तब्दील नहीं करने,कब्जा नााजायज नहीं करने तथा रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः– विवादित आराजी खसरा नम्बरान 3267/0.23,3268/0.16, 2397/0.23, 2406/0.40, कुल किता–04 रकबा 1.02 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है। वर्णित आराजी सायल व गैर सायल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर सायल व गैर सायल व प्रतिवादीगण मुताविक हिस्सा जमाबन्दी खातेदार काश्तकार काबिज है और इसीनुसार मौके पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सायल व गैर सायल व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुत0 का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है अब सायल व गैर सायल व प्रति0 के मध्य संयुक्त काश्त में नहीं बनती है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

सुविधा का संतुलनः– विवादित वर्णित आराजी खसरा नम्बरान में गैर सायल रेवन वावजूद सूचना व तामील के अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। इससे प्रतीत है कि गैर सायल को सायल के पक्ष में स्थगन दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन गैर सायल के पक्ष में न होकर सायल के पक्ष में बखूवी प्रकट होना प्रतीत है।

अपूर्तिनीय क्षतिः– विवादित वर्णित आराजी खसरा नम्बरान में गैर सायल रेवन वावजूद सूचना व तामील के अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। इससे प्रतीत है कि गैर सायल को सायल के पक्ष में स्थगन दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। साथ वर्णित आराजी संयुक्त खातेदारी की है। ऐसी स्थिति में प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्तिनीय क्षति सायल के पक्ष में बखूवी प्रतीत होती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायल के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। समस्त विवेचना अनुसार हम सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट, को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188, आर.टी.एक्ट के अन्तिम निस्तारण होने तक विवादित आराजी खसरा नम्बरान नम्बरान 3267/0.23,3268/0.16, 2397/0.23, 2406/0.40, कुल किता–04 रकबा 1.02

उपखण्ड अधिकारी डीग (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित आराजीयात पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने तथा रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित गैर सायल को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

Ravi.

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ravi.

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner